फर्द अहकाम

सूरजमल बनाम कुसुम अग्रवाल

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या ..../ ~~2026~~ 83/2024 दावा

क्र. सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	15/5/24 लगातार	उभयपक्ष ने राजीनामा पेश किया एवं आर्डरशीट पर हस्ताक्षर किये जिसे दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने Identify किया। उभयपक्ष ने राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व राजीनामा का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत दावा राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली है। पत्रावली नियत शुमार होकर शामिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :– 83 / 2024

उनवान

1. सुरजभान चौधरी पुत्र श्री गोरधन जाति–जाट, निवासी–खोरालाडखानी, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।
2. संतोष देवी पत्नि प्रभुदयाल कपूरिया, जाति जाट, निवासी–सौ बीघा वाली ढाणी सुराणा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।

– वादीगण

बनाम

1. कुसुम अग्रवाल पत्नी राजेश कुमार अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी प्लॉट नंबर बी 298, मालवीय नगर, जयपुर, राज0।
2. रहीस खां पुत्र अन्नू खां, जाति मुसलमान, निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0 (नाम हजफ)
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. कैलाश चन्द कपूरिया पुत्र छाजूराम कपूरिया, जाति जाट, निवासी चोपियाली ढाणी, तन खोरालाडखानी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :– 15/4/26

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता संख्या 356 के खसरा नम्बरान् 7360 / 1 / 0.51, 7364 / 1 / 0.39 कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर वाकै ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) में स्थित है। जिसमें वादीगण का हिस्सा राजस्वा रिकार्डमें दर्जेहाल है। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र पेश है। यह कि वाद पत्र के खण्ड संख्या 1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का आज तक वैधानिक बँटवारा नही हुआ है जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण मौका पर आपसी सहमति से अपने–अपने हिस्से पर आबाद होकर काबिज काश्त है। यह कि प्रतिवादीगण ने वादीगण के खिलाफ एक नाजायज संगठन बना रखा है जिसके चलते वादीगण के कब्जा काश्त में दखलनदाजी पैदा करते है जिस कारण शामलाती में काश्त करना

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

सम्भव नही रहा है। यह कि दिनांक 26/01/2024 को वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने खेतो का सहमति से बँटवारा करवाकर नम्बर व रकबा अलग-अलग करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण बँटवारा करवाने से साफ इन्कारी हो गये तथा वादीगण के साथ आमाद फिसाद हो गये तथा एलानिया धमकी दी है कि हम किसी भी किमत पर आराजी का वैधानिक बँटवारा नही होने देगें तथा वादीगण के कब्जे काश्त में इसी प्रकार मदाखलत पैदा करते रहेगें। जिस कारण वादीगण को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद पत्र पेश करना अति आवश्यक हुआ है। यह कि प्रतिवादीगण अपने अवैध मन्सुबो में किसी कदर भी कामयाब हो गये तथा वादीगण को काश्त नही करने दी एवं कब्जा काश्त में मदाखलत पैदा कर दिया या वादीगण को बेदखल कर दिया तो वादीगण को नाकाबिले तलाफी होगी तथा वादीगण के विधिक अधिकारो पर कुठाराघात होगा एवं वादीगण को अपनी आराजी से महरूम होना पडेगा एवं वादीगण को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति धनराशि से किसी रूप में सम्भव नही हो सकेगी तथा पक्षकारान् में परस्पर मुकदमें बाजी बढेगी।

अन्त में निवेदन किया कि आराजी खाता सख्या 356 के खसरा नम्बरान् 7360/1/0.51, 7364/1/0.39 कुल किता 2 कुल रकबा 0.90 हैक्टेयर वाकै ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सेनुसार राजस्व नियमो के मुताबिक राजस्व नियमावली को मध्य नजर रखते हुये मौका पर कब्जा काश्त को बयान में रखते हुये सरस-नरस (बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस) के अनुसार पर कानूनी बँटवारा किया जाये तथा तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एव पृथक-पृथक राजस्व लगान निर्धारित किये की आज्ञा प्रदान करे एवं प्रतिवादीगण जो जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से सदैव सदैव के लिये इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के खण्ड संख्या 01 में वादीगण के हिस्से में आई आराजी मुतनाजा के कब्जा काश्त उपयोग-उपभोग में किसी भी प्रकार की बेवजह मदाखलत पैदा न तो स्वयं करे और न ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट, उत्तराधिकारी, स्थानापन्न से करावें। जबकि वादीगण को शान्ति पूर्वक काबिज एव आबाद रहकर काश्त करने देवे। पाबन्द फरमाया जावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। बाद तामील एवं बावजूद सूचना के प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं दावा दिनांक 02.02.2024 को प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को प्रकरण में कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया एवं कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नही कर दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिकी किये जाने हेतु निवेदन किया गया। सुना

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूंकि वकील वादी द्वारा कोई आपत्ति पेश नही किये जाने से एवं कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतित होने से दावा दिनांक 07.02.2024 को अंतिम डिक्री किया गया एवं तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु लिखा गया व पत्रावली निर्णित शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की गई।

उक्त प्रकरण के संबंध में दिनांक 13.03.2024 को प्रार्थीया कुसुम अग्रवाल की ओर से प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश हुआ, जिसे बाद उभयपक्षों की सुनवाई के पश्चात् दिनांक 1.07.2024 को न्यायहित में स्वीकार किया गया एवं मूल वाद 7/2024 को पुनः दर्ज कर सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण में प्रार्थना–पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी स्वीकार होने के पश्चात् मूल वाद पुनः दर्ज किया गया एवं उभयपक्ष को अग्रिम कार्यवाही हेतु अवगत करवाया गया। वकील प्रतिवादी ने मूल वाद में जवाब दावा मय प्रतिदावा एवं प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी पेश किया। नकल दिलाई गई। वकील वादी ने जवाब प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी पेश किया। प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्रों का विधिवत निस्तारण किया गया। वकील उभयपक्ष की प्रार्थना–पत्र 144 सीपीसी पर बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 144 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया गया, जिसका विस्तृत आदेश आदेशिका पर वर्णित है। वकील वादी द्वारा जवाब उल जवाब पेश नहीं किये जाने पर अथवा उचित अवसर दिये जाने उपरांत भी जवाब उल जवाब पेश नहीं किये जाने पर वकील वादी का जवाब उल जवाब बंद किया गया एवं पत्रावली प्राथमिक डिक्री की बहस हेतु नियत की गई। प्रकरण में दिनांक 15.04.2026 को वकील उभयपक्ष व पक्षकारान् के द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना–पत्र पेश कर प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व आदेश 22 नियम 10 सीपीसी अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया। वकील उभयपक्ष ने उक्त प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दौराने विचारण प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने नाम दर्ज 1/16 भाग की भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी संख्या 2 संतोष देवी को बेचान कर दी। उसके प्रतिवादी संख्या 2 का प्रश्नगत आराजीयात में कोई हिस्सा नहीं रहा है। वादी संख्या 2 संतोष देवी ने प्रतिवादी संख्या 2 से भूमि खरीद के पश्चात हाल खसरा नंबर 7360/1 रकबा 0.51 है0 ग्राम शिवपुरी के अपने नाम दर्ज 3/16 भाग में से हिस्सा 261/1700 भाग को श्री कैलाशचन्द कपूरिया पुत्र छाजूराम कपूरिया, जाति जाट, निवासी चौपियाली ढाणी, खोरालाडखानी, तहसील शाहपुरा को बेचान कर दी, जिसके नाम हिस्सा 281/1700 भाग की राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज हो गई। इस प्रकार उक्त कैलाशचन्द कपूरिया हाल खसरा नंबर 7360/1 रकबा 0.51 है0 ग्राम शिवपुरी में सह–खातेदार हो गया, जो प्रकरण में

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज

आवश्यक व जरूरी पक्षकार है जिसे पक्षकार प्रतिवादी संख्या 4 बनाया जाना व प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ किया जाना न्यायोचित है।

सुना गया। पत्रावली व प्रार्थना पत्रों का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी संख्या 2 को अपना सम्पूर्ण हिस्सा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कर दिया है एवं वादी संख्या 2 ने अपने हिस्से में कुछ हिस्सा कैलाशचन्द कपूरिया को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया गया है जिसके कारण प्रतिवादी संख्या 2 का प्रश्नगत आराजीयात में कोई हिस्सा नहीं रहा है एवं कैलाशचन्द कपूरिया रजिस्टर्ड क्रेता होने से उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आता है। अतः उभयपक्ष द्वारा शीघ्र सुनवाई प्रार्थना–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व आदेश 22 नियम 10 सीपीसी अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी पर कोई आपत्ति पेश नहीं की है बल्कि सहमति दी है। अतः कोई आपत्ति पेश नहीं होने से बल्कि सहमति होने से शीघ्र सुनवाई प्रार्थना–पत्र एवं प्रार्थना–पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी व आदेश 22 नियम 10 सीपीसी अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 2 का नाम हजफ किये जाने एवं कैलाशचन्द कपूरिया को प्रतिवादी संख्या 4 पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये। इसके उपरान्त प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता श्री सीताराम सैनी ने वकालतनामा पेश किया एवं वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। तदानुसार वकील उभयपक्ष ने एवं पक्षकारान् ने प्रकरण में राजीनामा पेश किया एवं कथन किया कि प्रकरण का राजीनामा अनुसार निस्तारण किये जाने से पक्षकारान् को कोई आपत्ति नहीं है।

सुना गया। पत्रावली व राजीनामा का अवलोकन किया गया। पक्षकारान् द्वारा राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया :– " हम सुरजमान चौधरी पुत्र गोरधन, जाति जाट उम्र 37 वर्ष निवासी खोरालाडखानी तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, सन्तोष देवी पत्नी प्रभुदयाल कपूरिया उम्र 37 वर्ष जाति जाट, निवासी सौ बीघा वाली ढाणी तन सुराणा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) वादीगण स्वयं व कुसुम अग्रवाल पत्नी राजेश कुमार अग्रवाल, उम्र 55 वर्ष, जाति महाजन निवासी प्लॉट नम्बर बी 298 मालवीय नगर, जयपुर व कैलाशचन्द कपूरिया पुत्र छाजूराम कपूरिया उम्र 37 वर्ष जाति जाट, निवासी चोपियाली ढाणी, तन खोरालाडखानी, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.) प्रतिवादीगण स्वयं है। यहकि प्रस्तुत प्रकरण हाल आराजी खसरा नम्बर 7360/1 रकबा 0.51 है0 7364/1 रकबा 0.39 है० ग्राम शिवपुरी, तहसील शाहपुरा के सम्बन्ध में वादीगण ने प्रस्तुत कर रखा है। यहकि वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 7360/1 रकबा 0.51 हे० ग्राम शिवपुरी के हिस्सा 281/1700 भाग की खातेदारी प्रतिवादी कैलाशचन्द हिस्सा 151/6800 भाग की खातेदारी वादीया सन्तोष देवी व हिस्सा 1/16 भाग की खातेदारी वादी सुरजमान के व हिस्सा 3/4 भाग की खातेदारी प्रतिवादी सख्या 1

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

कुसुम अग्रवाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व हाल खसरा नम्बर 7364/1 रकबा 0.39 है० ग्राम शिवपुरी तहसील शाहपुरा की वर्तमान खातेदारी हिस्सा 1/16 भाग की वादी सुरजभान व हिस्सा 3/16 भाग की वादीया सतोष देवी व हिस्सा 3/4 भाग की प्रतिवादी संख्या 1 कुसुम अग्रवाल के नाम दर्ज है। यहकि हम दोनों पक्षों ने आपस में सहमति व रजावन्दी से उपरोक्त भूमि हाल खसरा नम्बर 7360/1 रकबा 0.51 है0 एव 7364/1 रकबा 0.39 है० ग्राम शिवपुरी, तहसील शाहपुरा का अपने–अपने हिस्सों के अनुसार राजीनामा कर लिया है। आपसी बटवारा के अन्तर्गत दोनों खसरों का कुल रकबा 0.90 है0 में से वादीगण व प्रतिवादी कैलाशचन्द के हिस्से में 0.2250 है० व प्रतिवादीया कुसुम अग्रवाल के हिस्से में 0.6750 है० भूमि हिस्से अनुसार आती है। यहकि आपसी राजीनामा के अन्तर्गत हाल खसरा नम्बर 7364/1 रकबा 0.39 है0 में से पश्चिमी तरफ की 0.2250 है0 भूमि वादीगण सुरजभान सतोष देवी व प्रतिवादी कैलाशचन्द के हिस्से में सम्मिलित की रहेगी व उक्त 0.2250 है० भूमि में पूर्व–पश्चिम 30 मीटर व उत्तर–दक्षिण पूर्वी तरफ 78 मीटर व पश्चिमी तरफ 72 मीटर भूमि वादीगण व कैलाशचन्द के बटवारे में रहेगी व उक्त 0.2250 है० भूमि के पूर्वी तरफ हाल खसरा नम्बर 7364/1 रकबा 0.39 है० की शेष भूमि 0.1650 है० व हाल खसरा नम्बर 7360/1 रकबा 0.51 है० सम्पूर्ण कुल रकबा 06750 है० प्रतिवादी सख्या 1 कुसुम अग्रवाल के हिस्से व बटवारे में रहेगी। वादीगण व कैलाश के हिस्से में आई खसरा नम्बर 7364/1 रकबा 0.39 है0 में से 0.2250 है0 भूमि की पश्चिमी भूमि में से मौके पर नाप पूर्व से पश्चिम 30 मीटर की जगह 30.48 मीटर (100 फीट) एव उत्तर से दक्षिण पश्चिमी भुजा 72 मीटर एव पूर्वी भुजा 78 मीटर की जगह दोनों भुजाए 73.80 मीटर (242 फीट) अर्थात् 100•242 फीट में से पूर्वी तरफ 30 फीट व पश्चिमी तरफ 30 फीट भूमि छोडकर मध्य की 40 फीट भूमि उत्तर–दक्षिण लम्बाई में आम रास्ता रखा जावेगा, जो दौसा–मनोहरपुर मुख्य मार्ग खसरा नम्बर 7364/2 से लगता हुआ उक्त आम रास्ते में से होते हुए छोडे गए 40 फीट रास्ते से होकर द्वितीय पक्ष की भूमि खसरा नम्बर 7364/8231 तक जायेगा। उक्त रास्ता द्वितीय पक्ष की भूमियों में आवागमन एवं उपयोग उपभोग हेतु सदा–सदा के लिए कायम कर दिया गया है. जिसे ठीक ढंग से समझने के लिए सलग्न नक्शे में पीले रंग से दर्शाया गया है। उक्त नक्शा इस राजीनामा का अभिन्न अग रहेगा। उक्त 40 फीट चौडे रास्ते का प्रतिवादी कुसुम अग्रवाल व उसके एजेन्ट, सर्वेन्ट वारिसान, उत्तराधिकारी प्रतिनिधि, स्थानापन्न अपनी अन्य भूमियों में निर्विरोध आवागमन एव उपयोग–उपभोग करते रहेंगे। जिसमें से होकर कुसुम अग्रवाल अपने कृषि संसाधन वाहन आदि ला ले जा सकेंगे। इसमें वादीगण व प्रतिवादी कैलाशचन्द व उनके वारिसान उत्तराधिकारियों एजेन्ट सर्वेन्ट, प्रतिनिधि, स्थानापन्न को कोई आपत्ति नहीं होगी। कुसुम अग्रवाल को उक्त रास्ते से आने–जाने उपयोग–उपभोग

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

मे लेने मे कभी कोई बाधा व रूकावट पैदा नही करेंगे व उक्त रास्ते को किसी भी प्रकार से बन्द व अन्य को बेचान नही करेंगे। रास्ते में वादीगण व प्रतिवादी कैलाशचन्द किसी भी प्रकार से अतिक्रमण कर तंग व सकडा नही करेंगे। रास्ता चालू रहेगा। उक्त राजीनामा का किसी भी पक्ष द्वारा पालना नहीं करने पर दूसरे पक्ष को न्यायालय से पालना करवाने का विधिक उपचार प्राप्त होगा। दोनों पक्ष एक–दूसरे के हिस्से व बटवारे में आयी भूमि पर एक–दूसरे के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग में कोई बाधा या दखलन्दाजी पैदा नही करेगा। दोनों पक्ष अपने–अपने बटवारे में आयी भूमि पर अपने हिस्से व रकबे के अनुसार सीमा कायम कर तारबन्दी दीवार इत्यादि व सीमा चिन्ह लगा सकेंगे। वादीगण व प्रतिवादी लेलान कैलाश के हिस्से व बटवारे में आई भूमि को नक्शा ट्रेस में बरंग हरा व रास्ता आम पीला व प्रतिवादी कुसुम अग्रवाल के हिस्से में आयी भूमि को बरंग लाल से दर्शाया है। उक्त राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण कर बंटवारा कर पृथक–पृथक लगान का निर्धारण कर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कराया जाने में पक्षकारान् को कोई ऐतराज नहीं है। अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि मुताबिक राजीनामा प्रकरण का बंटवारा कर निस्तारण फरमाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कराया जाने के आदेश प्रदान करें।''

वकील उभयपक्ष एवं पक्षकारान् ने अपनी बहस में कथन किया कि हम पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो गया है एवं राजीनामा में वर्णित तथ्यों से हम सहमत है एवं हमने राजीनामे से अपने–अपने हिस्से की जमीन को एकजाई कर लिया एवं जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही हमने बंटवारा कर लिया है। अतः राजीनामा अनुसार दावा अंतिम डिक्री किया जाना न्यायसंगत एवं न्यायनुमत है।

सुना गया। पत्रावली व प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि पक्षकारान् ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान् ने राजीनामा में इंगित किया है कि जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार उक्त विवादग्रस्त आराजीयात का आपसी सहमति से बंटवारा कर लिया है। सहमति बाबत् प्रत्येक पक्षकारान् ने अपने–अपने हस्ताक्षर राजीनामा व आदेशिका पर किये है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप उभयपक्ष ने द्वारा राजीनामा कर लेने से एवं उभयपक्ष उक्त राजीनामे से सहमत होने से दावा मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 7360/1 रकबा 0.51 है0 एवं 7364/1 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान की भूमि

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

का विभाजन राजीनामा अनुसार किया जाता है। राजीनामा व संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। उक्त राजीनामे से उभयपक्ष पाबंद रहेंगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ...15/4/26... को सरे इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा (जिला-जयपुर)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) शाहपुरा जिला जयपुर राज0

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :- 83 / 2024

उनवान

1. सुरजभान चौधरी पुत्र श्री गोरधन जाति–जाट, निवासी–खोरालाडखानी, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।
2. संतोष देवी पत्नि प्रभुदयाल कपूरिया, जाति जाट, निवासी–सौ बीघा वाली ढाणी सुराणा, तहसील–शाहपुरा, जिला–जयपुर, राज0।

– वादीगण

बनाम

1. कुसुम अग्रवाल पत्नी राजेश कुमार अग्रवाल, जाति महाजन, निवासी प्लॉट नंबर बी 298, मालवीय नगर, जयपुर, राज0।
2. रहीस खां पुत्र अन्नू खां, जाति मुसलमान, निवासी मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0 (नाम हजफ)
3. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।
4. कैलाश चन्द कपूरिया पुत्र छाजूराम कपूरिया, जाति जाट, निवासी चोपियाली ढाणी, तन खोरालाडखानी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक :- 15/4/26

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप दावा राजीनामा अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा नंबर 7360/1 रकबा 0.51 है0 एवं 7364/1 रकबा 0.39 है0 वाकै ग्राम शिवपुरी, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राजस्थान की भूमि का विभाजन राजीनामा अनुसार किया जाता है। राजीनामा व संलग्न नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। उक्त राजीनामे से उभयपक्ष पाबंद रहेंगे। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक को उक्त डिक्री 15/4/26 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(संजीव कुमार खेदर, R.A.S)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.